राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ1008 (101)/COVID 19/2020/503

दिनांक : 20 - 04 - 20

दिशा-निर्देश

विषय : आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत COVID 19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत COVID 19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इसके लिए योजनान्तर्गत संबद्ध वहीं निजी/सरकारी चिकित्सालय अधिकृत होगें जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य संबद्ध चिकित्सालय इन मरीजों के ईलाज हेतु अधिकृत नहीं होगें।

योजना में COVID19 से संक्रमित मरीज का ईलाज उनकी चिकित्सकीय परिस्थिति (Medical condition) के अनुसार निम्न पैकेजों में किया जा सकेगा :

क्र. सं.	पैकेज कोड	पैकेज का नाम	राशि
1	19100002	General ward	750 / - प्रतिदिन
2	19100003	ICU	1500 / - प्रतिदिन
3	29100008	Acute Respiratory failure (With ventilator support-for minimum 5 days)	35000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी अस्पतालों को उसके अस्पताल में कार्यरत स्टॉफ यथा चिकित्सक, निर्सिगकर्मी, सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि की संक्रमण से सुरक्षा हेतु प्रति मरीज प्रतिदिन रुपये 1200 की दर से अतिरिक्त राशि पैकेज की राशि के साथ देय होगी, जो कि समान रूप से उपरोक्त उल्लेखित तीनों पैकेजों पर लागू होगी। इस राशि का उपयोग निजी अस्पताल को उपरोक्त वार्ड कार्यरत स्टॉफ की संक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में करना होगा। राज्य सरकार द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जायेगी, यदि निजी अस्पतालों को Logistics राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते है, तो यह राशि देय नहीं होगी।

COVID19 से संक्रमित मरीज का इलाज करने की स्थिति में योजना के अन्य दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इन अस्पतालों द्वारा सिर्फ उन्हीं मरीजों का ईलाज किया जा सकेगा, जिन्हें जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनकी बैड क्षमता की जांच के उपरान्त ईलाज हेतु उस अस्पताल में रैफर किया गया है। अस्पतालों को भुगतान जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांकः एफ1008 (101)/COVID 19/2020/503

दिनांक : 20 -04 -20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
- 3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

- 5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैत्थ एश्योरेंस एजेन्सी।
- 6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी।
- 7. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी।
- 8. जिला कलेक्ट्र, समस्त जिले।
- 9. मुख्य चिकित्स्ना एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
- 10. आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में संबंद्ध समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालय।
- 11. रक्षित पत्रावली एवं इन्चार्ज सर्वर रूम को मेल करने हेतु।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी